(58)

दिनांक 08.01.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे बीज एवं प्रक्षेत्र निदेशालय, बि.कृ.वि., सबौर में वाह्य व्यक्तियों से प्राप्त शिकायत के निवारण हेतु गठित समिति (निदेशक प्रशासन, बि.कृ.वि., सबौर के कार्यालय आदेश संख्या 290 दिनांक 22.10.2025) की आयोजित बैठक का कार्यवाही प्रतिवेदन :

उपस्थिति :

1. डा. फिजा अहमद, निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र, बि.कृ.वि., सबौर – अध्यक्ष
2. डा. मिजानुल हक, कुलसचिव, बि.कृ.वि., सबौर – सदस्य
3. श्री बिरेन्द्र कुमार सिन्हा, नियंत्रक, बि.कृ.महा., सबौर – सदस्य
4. डा. संजय कुमार, अध्यक्ष (सस्य विज्ञान), बि.कृ.महा., सबौर – सदस्य
5. डा. मुकेश कुमार, प्रभारी पदाधिकारी, प्रक्षेत्र, बि.कृ.महा., सबौर – सदस्य सचिव

निदेशक प्रशासन, बि.कृ.वि., सबौर के कार्यालय आदेश संख्या 290 दिनांक 22.10.2025 द्वारा गठित समिति जिसमें राज्यपाल सचिवालय, बिहार लोक भवन (राजभवन) के माध्यम से निदेशक प्रशासन को प्राप्त तीन शपथ पत्र जो शिकायतकर्ता श्री हरेराम राय, डा. दीपिका तथा श्री राजीव रंजन द्वारा समर्पित किये गये है, के आलोक में अलग–अलग शिकायतों के सुनवाई/निराकरण हेतु समिति की प्रथम बैठक दिनांक 27.11.2025 को आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में विचार–विमर्श उपरांत समिति द्वारा मामलें की पारदर्शी एवं निष्पक्ष सुनवाई हेतु तीनों शिकायतकर्ताओं को अगली बैठक आज दिनांक 08.01.2026 को अपना पक्ष साक्ष्य के साथ रखने हेतु सशरीर उपस्थित होने के लिए निदेशालय के पत्रांक 827,828 एवं 829 दिनांक 01.12.2025 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया। तीनों व्यक्तियों को उपस्थित होने हेतु अलग–अलग पत्र उपलब्ध ईमेल तथा निबंधित डाक के माध्यम से भेजा गया था।

उपरोक्त के आलोक में दिनांक 08.01.2026 को गठित समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक का विवरण निम्नवत् है :–

1. शिकायतकर्ता श्री हरेराम राय दिनांक 08.01.2026 को बैठक में उपस्थित नहीं हुये। उनके द्वारा फोन पर बताया गया कि वे बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है।
2. शिकायतकर्ता डा. दीपिका दिनांक 08.01.2026 को बैठक में उपस्थित नहीं हुई। उनके स्तर से अनुपस्थिति संबंधी कोई भी सूचना अप्राप्त है।
3. शिकायतकर्ता श्री राजीव रंजन भी दिनांक 08.01.2026 को बैठक में उपस्थित नहीं हुये। उन्होंने अपने आवेदन 01.01.2026 द्वारा सूचित किया है कि वे कई कारणों से दिनांक 08.01.2026 को उपस्थित होने में असमर्थ है।

समिति द्वारा यह पाया गया कि उपरोक्त तीनों शिकायताकर्ता बैठक में उपस्थिति नहीं हुये, जिससे मामले की सुनवाई नहीं की जा सकी। तीनों शिकायतकर्ताओं की अनुपस्थिति को देखते हुये समिति द्वारा विचारोपरांत सर्वसम्मिति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

1. समिति द्वारा तीनों शिकायतकर्ताओं को उपस्थित होकर उन्हें अपना पक्ष साक्ष्य के साथ रखने हेतु एक बार पुनः मौका देने का निर्णय लिया गया। शिकायताकर्ताओं को दिनांक 22.01.2026 के पूर्वाह्न 11.00 बजे समिति के समक्ष सशरीर उपस्थित होकर अपनी शिकायत साक्ष्य के साथ रखने हेतु उन्हें पुर्नपत्र प्रेषित करने निर्णय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।
2. समिति द्वारा पत्र में उल्लेख करने का निर्णय लिया गया कि शिकायतकर्ताओं को सूचित किया जाय कि वे यदि दिनांक 22.01.2026 को आहुत दूसरी बैठक में उपस्थित नहीं होते है तो समिति को बाध्य होकर उनके द्वारा की गई शिकायत को निरर्थक मानते हुये मामलें को निस्तारित कर दिया जायेगा।

(हस्ताक्षर) 08/01/26
(मुकेश कुमार)
सहायक प्राध्यापक–सह–प्रभारी
पदाधिकारी, प्रक्षेत्र
बि.कृ.महा., सबौर

Sanjay Kumar 08-01-2026
(संजय कुमार)
अध्यक्ष (सस्य विज्ञान),
बि.कृ.महा., सबौर

(हस्ताक्षर) 08/1/26
(बिरेन्द्र कुमार सिन्हा)
नियंत्रक,

(हस्ताक्षर) 08/01/26
(मिजानुल हक)
कुलसचिव, बि.कृ.वि., सबौर

(हस्ताक्षर) 8.1.26
(फिजा अहमद)
निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र,